विशे

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद पत्र संख्या :– 56/2017 पुनःदर्ज 80/2022

उनवान

1. सुनील कुमार गोयल
2. विनय कुमार गोयल
3. नितिन कुमार गोयल

} पि0 प्रेमचन्द गोयल जाति महाजन निवासी ई 11/5 बंसत विहार दिल्ली

प्रार्थी

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय शाहपुरा जिला जयपुर।
2.भगवान सहय जाटवा पुत्र श्री छोटूराम जाटवा जाति रैगर निवासी ग्राम ठीकरिया तहसील सांगानेर

प्रा0पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 एलआरएक्ट 1956

निर्णय दिनांकः 1/2/23

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। प्रार्थी के द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र पेश किया गया है कि आराजी ख.नं. 1163/1 रकबा 3.87 है0, 1177 रकबा 0.60 है0, 1179 रकबा 0.30 है0, 1179/1333 रकबा 0.24 है0, 1183 रकबा 0.85 है0, 1186 रकबा 0.56 है0, 1187 रकबा 0.42 है0 1180 रकबा 1.17 है0, 1113/1341 रकबा 0.55 है0, 1115/1342 रकबा 0.55 है0, 1135 रकबा 1.73 है0, 1136 रकबा 0.37 है0, 1140 रकबा 0.19 है0, 1141 रकबा 0.24 है0, 1142 रकबा 0.13 है0, 1149 रकबा 0.50 है0, 1150 रकबा 1.67 है0, 1156 रकबा 0.20 है0, 1157 रकबा 0.20 है0, 1158 रकबा 0.36 है0, 1159 रकबा 0.82 है0, 1160 रकबस 5.64 है0, 1162 रकबा 1.31 है0, 1164/1 रकबा 6.39 है0 वाके ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि स्थित है , जिस पर प्रार्थी कब्जा कास्त करता आ रहा है तथा आज भी काबिज है। प्रार्थी की उक्त आराजी में पडौसी काश्तकार द्वारा भूमि को दबाने की कोशिश करते रहते है, इसलिउ उक्त आराजीयात की सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करें । प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र पेश होने पर दिनांक 12.10.2017 को तहसीलदार शाहपुरा को सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी कर वाने के आदेश प्रदान किये गये । उक्त आदेश दिनांक 12.10.2017 की अप्रार्थी सं0 2 के द्वारा माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के यहां अपील किये जाने पर संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के आदेश दिनांक 24.1.2022 के द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 12.10.2017 को निरस्त किया जाकर प्रकरण में उभय पक्ष को साक्ष्य सबूत दस्तावोजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रेतिप्रेषितम किया गया ।

संभागीय आयुक्त महोदय जयपुर के आदेश दिनांक 24.1.2022 की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज किया जाकर उभय पक्षों को सुना गया । प्रार्थीगण की ओर से श्री मंगलचन्द यादव तथा अप्रार्थी सं0 2 की ओर श्री खेमचन्द यादव अधिवक्ता उपस्थित आये । प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 2 की ओर अपने जवाब प्रार्थना पत्र मय प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया । वकील उभय पक्ष को उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर सुना गया । वकील अप्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खाजिर किया जावे या प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी के साथ अप्रार्थी सं0 2 की भूमि का भी सीमाज्ञान पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया । वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में जाहिर किया कि अप्रार्थीगण को पक्षकार माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय में ही बनाया जा चुका है तथा यहां पर भी अप्रार्थीगण की सुनवाई की जा रही है तथा अप्रार्थीगण की भूमि का भी सीमाज्ञान पत्थरगढी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया ।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक मनन किया । प्रकरण में पाया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी दोनो पक्ष ही अपनी अपनी भूमि का सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाना चाहते है। अप्रार्थी सं0 2 की भूमि आराजी ख0नं0 1146 रकबा 0.01 है0, 1147 रकबा 1.07 है0, 1147/1323 रकबा 0.04 है0, 1148 रकबा 0.87 है0, 1155 रकबास 0.26 है0 1143 रकबा 0.20 है0, 1144 रकबा 0.43 है0, 1145 रकबा 0.65 है0 वाके ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा में स्थित है तथा प्रार्थीगण की भूमि के लगती हुई

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

भूमि है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 2 के नाम भूमि राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है तथा खातेदार अपनी भूमि की सुरक्षा, तथा अपनी भूमि की सीमा में कास्त करने हेतु सीमाज्ञान व पत्थरगढी करने का पूर्णतः अधिकार रखते है। इस प्रकार प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान /पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा साथ में अप्रार्थी सं0 2 भी अपनी भूमि का सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाना चाहता है जिस पर दोनों पक्षो को कोई आपत्ति नहीं होने से अप्रार्थी सं0 2 की भूमि का भी नियमानुसार कसीमाज्ञान पत्थरगढी किया जाना उचित समझते है।

अतः अप्रार्थी सं0 2 के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जाकर प्रार्थीगण /अप्रार्थी सं0 2 का प्रार्थना पत्र बाबत सीमाज्ञान / पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि प्राथीगण की प्रश्नागत कि 1163/1 रकबा 3.87 है0, 1177 रकबा 0.60 है0, 1179 रकबा 0.30 है0, 1179/1333 रकबा 0.24 है0, 1183 रकबा 0.85 है0, 1186 रकबा 0.56 है0, 1187 रकबा 0.42 है0 1180 रकबा 1.17 है0, 1113/1341 रकबा 0.55 है0, 1115/1342 रकबा 0.55 है0, 1135 रकबा 1.73 है0, 1136 रकबा 0.37 है0, 1140 रकबा 0.19 है0, 1141 रकबा 0.24 है0, 1142 रकबा 0.13 है0, 1149 रकबा 0.50 है0, 1150 रकबा 1.67 है0, 1156 रकबा 0.20 है0, 1157 रकबा 0.20 है0, 1158 रकबा 0.36 है0, 1159 रकबा 0.82 है0, 1160 रकबस 5.64 है0, 1162 रकबा 1.31 है0, 1164/1 रकबा 6.39 है0 वाके ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा तथा अप्रार्थी सं0 2 की आराजी ख0नं0 1146 रकबा 0.01 है0, 1147 रकबा 1.07 है0, 1147/1323 रकबा 0.04 है0, 1148 रकबा 0.87 है0, 1155 रकबास 0.26 है0 1143 रकबा 0.20 है0, 1144 रकबा 0.43 है0, 1145 रकबा 0.65 है0 वाके ग्राम सुराणा तहसील शाहपुरा का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए उनकी उपस्थिति में नियमानुसार शुल्क जमा कर सीमाज्ञान करवाकर मुताबिक सीमाज्ञान के पत्थरगढी करवावे । तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 1/2/23 को सरे इजलास सुनाया गया

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

(मनमोहन मीना)
उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर